फर्द अहकाम

रणजीत वगै0 बनाम घनश्याम वगै0

पत्र संख्या: 74 /2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.04.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128136 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
23/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं० 1 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार मीणा ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थनापत्र 111,128 स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की बहस सुनी प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थनापत्र 111,128 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली में तरमीम अमल [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	No. objection (उ.खं.अधि.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 74 / 2024
निर्णय दिनांक : 23.05.2024

1. रणजीत कोर पत्नि जसवीर सिंह जाति सिख निवासीः सी. 24 भगतसिंह मार्ग तिलक नगर जयपुर

2. सुन्नीदेवी पत्नि रणजीतसिंह जाति सिख निवासी 229 / 3 पार्वती मार्ग राजा पार्क जयपुर।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम मीणा पुत्र श्री गोपीराम मीणा जाति मीणा निवासी बावला की ढाणी श्रीराम की नांगल तहसील सॉगानेर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाने बाबत्

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी की ग्राम खेडीगोकुलपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू.अभि.नि. शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी में आपस में खातेदार व पडौसी खातेदार काश्तकार है। तहसील सांगानेर के ग्राम खेडीगोकुलपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू.अभि.नि. शिकारपुरा के खसरा नं. 336 / 1 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 347 रकबा 0.42 है। कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 है० स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम होने के कारण प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 19 / 05 / 2022 को नियमानुसार पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक के द्वारा करवा लिया है। जिसमें सभी पडौसी खातेदारो व उपस्थित व्यक्तियो ने फर्द मौका रिपोर्ट पढकर, सुनकर, समझकर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा पटवारी हल्का ने पालना रिपोर्ट माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दी। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान आदेश के पश्चात अभी गत दिनांक 05. 03.2024 को अपने [illegible] देखभाल करने गये तो अप्रार्थी दो–तीन लोगो के साथ मौके पर आये और लडाई झगडा करने लग लये और कहा कि उक्त आराजी तो हमारी है हम तुम्हे काबीज नहीं करने देगे अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हे जान से मार डालेगे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है। अप्रार्थी की धमकी व कार्यप्रणाली को देखते हुये प्रार्थीगण के मन में डर व तनाव व्याप्त है

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तथा प्रार्थीया के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी उक्त कृषि भूमि की पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवायें जिससे श्रीमान के क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था बनी रह सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की नियमानुसार पुलिस सुरक्षा के अधीन पत्थरगढी करवाई जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित श्री राकेश कुमार मीणा ने आदेशिका पर पत्थरीगढी हेतु सहमति अंकित की।

पत्रावली में उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की नियमानुसार पुलिस सुरक्षा के अधीन पत्थरगढी करवाई जाने के आदेश फरमाये जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित श्री राकेश कुमार मीणा ने आदेशिका पर पत्थरीगढी हेतु सहमति अंकित की।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की ग्राम खेडीगोकुलपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू.अभि.नि. शिकारपुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 336/1 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 347 रकबा 0.42 है। कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 है० नियमानुसार सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:21 IST
Reason: SelfAttested